



402



माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2013 निगरानी — R.221-2113

- 1- नंदकिशोर पिता श्री भगवान सिंह
- 2- महेश पिता श्री भगवान सिंह, समस्त जाति खाती, समस्त व्यवसाय कृषि, निवासीगण-ग्राम कराड़िया तहसील टोंकखूर्द जिला देवास (म.प्र.) --प्रार्थी/निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

- 1- भगवान सिंह पिता श्री दरियाव सिंह, जाति खाती, व्यवसाय कृषि
- 2-मध्य प्रदेश शासन द्वारा पटवारी मौजा ग्राम कराड़िया तहसील टोंकखूर्द जिला देवास (म.प्र.)

--प्रतिप्रार्थीगण/रेस्पान्डेंटगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

अधीनस्था न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सोनकच्छ जिला देवास के प्रकरण क्रमांक 13/2012-13 अपील स्थगन आदेश दिनांक 11-01-2013 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है।

Chaturvedi
17/1/13
Time 10:45

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत हैं :-

::- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य -::


यह कि, निगरानीकर्तागण नंदकिशोर, महेश पिता भगवान सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-221-एक/13

जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: center;">3</p>	